भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 14.09.2020 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi held on 14.09.2020

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 14.09.2020 को पूर्वाह्न 10.30 बजे केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि प्रधान आयुक्त श्री के.आर. उदय भास्कर की अध्यक्षता में आयुक्तालय में वेब एक्स द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मुख्यालय के अनुभाग प्रमुख एवं सभी सहायक आयुक्तों के साथ आयोजित की गई।

The quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi was convened with the Section Heads in Hqrs. office and all other Assistant Commissioners of the Commissionerate on 14.09.2020 at 10.30 am under the Chairmanship of Shri K.R. Uday Bhaskar, Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi through WebEx online. The following members attended the meeting.

क्र.सं S.No.	अधिकारी का नाम(सर्वश्री/श्रीमती/कु.) Name of the Officer(S/Shri/Smt/Ku.)	पदनाम Designation	अनुभाग /मंडल Section/Division
1	अनवर अली Anwar Ali	Additional Commissioner	मुख्यालय/मु.आ.का. Hqrs./CCO
2	राजेश्वरी आर. नायर Rajeswari R.Nair	संयुक्त आयुक्त[का.व सत.] Joint Commissioner[P&V]	मुख्यालय Hqrs.

3	सुरेश बाबु पी. जी. Suresh Babu P.G.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	प्र.,का.व सत.,सेवोत्तम, निवा.,जन संपर्क व् मुकदमा Admn.,P&V, Sevottam,Preventive,PRO & Prosecution
4	बिजु पॉल Biju Paul	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	इडुक्की व पेरुम्बावूर मंडल Idukki & Perumbavoor Divisions
5	Shalini Sushmita	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	आलुवा मंडल Aluva Division
6	Anjana S. Kumar	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	काक्कनाड मंडल Kakkanad Division
7	Romi Pynadan	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	त्रिश्शूर व चालक्कुडी मंडल Thrissur & Chalakkudy Division
8	जिम्मी जोसफ Jimmi Joseph	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	न्याय.नि.,ब.वसूली,एस वी एल डी आर एस Adjn., Arrear Recovery, Review & SVLDRS
9	वी शांति V.Shanthi	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	तक.,सांख्यिकी,ई डी पी, संसद प्रश्न व् जी एस टी कक्ष Technical, Statistics, EDP, Parliament Questions & GST Cell
10	रॉय वर्गीस Roy Varghese	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	विधिक, जन सूचना,प्रशि.रा भा व् ले प Legal,RTI(CPIO),Training, OLIC & Audit
11	बेलिंडा रि बेल्लो Belinda Re Bello	अधीक्षक Supdt.	बकाया -मुख्यालय Arrears-Hqrs.
12	टोजो डेविस Tojo Davis	अधीक्षक Supdt.	ई डी पी -मुख्यालय E.D.P.-Hqrs
13	सुबाष जे शेनॉय Subash J.Shenoy	अधीक्षक Supdt.	आर टी आई /प्रशिक्षण - मुख्यालय RTI/Training -Hqrs
14	रजित एस Rejith S.	अधीक्षक Supdt.	मुख्यालय P.R.O.unit, Hqrs.
15	जस्टिन जे Justin J.	निरीक्षक Inspr.	मुख्यालय P.R.O.unit, Hqrs
16	शशि कान्त सिंह Shashi Kant Singh	निरीक्षक Inspr.	लेखा परीक्षा -मुख्यालय
17	जेकब वरुगीस Jacob Varughese	निरीक्षक Inspr.	ई डी पी -मुख्यालय E.D.P.-Hqrs

18	विनु आर. Vinu R.	निरीक्षक Inspr.	अंकमाली रेंज Ankamali Range
19	श्रीमती रोसेलिंड जोस थॉमस कोरुत Smt. Rosalind Jose Thomas Koruthu	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी Senior Translation Officer	मुख्यालय Hqrs.

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आरंभ की।
उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने ऑनलाइन उपस्थित सभी सदस्यों को अपना हिंदी दिवस सन्देश पढ़कर सुनाया|
The Chairman welcomed all the members of the Committee and commenced the meeting. Further he read out his Hindi Diwas message to all members present online.

I पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई / Action taken on the decisions of the last meeting.

a. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है । Documents coming under section 3(3) of OL Act,1963 should be issued only in bilingual form:

समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाएं। पिछली तिमाही में 22 कागजात राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए और उन सभी कागजातों को हिन्दी में भी जारी किए गए |

The Committee was informed that section 3(3) of OL Act, 1963 is being followed. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too. During the previous quarter 22 papers were issued under section 3(3) of OL Act, 1963 and all those papers were issued in Hindi too.

कार्रवाई: प्रशासनिक अधिकारी(मु.), प्रशासन, तकनीकी,न्यायनिर्णयन, सतर्कता अनुभागों के अधीक्षक, जन संपर्क अधिकारी, राजभाषा अनुभाग

Action: AO(Hqrs.), Supdt.s of Admn., Technical, Adjn., Vigilance sections, PRO, OL Section

b. प्रोत्साहन योजना / Incentive Scheme.

समिति को सूचित किया गया कि तिमाही के दौरान हिंदी में टिप्पण एवं आलेखन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू कीगई प्रोत्साहन योजना के तहत एक अधिकारी को वर्ष 2019-20 में सरकारी कामकाज में दस हज़ार शब्द हिंदी में लिखने हेतु नकद पुरस्कार दिया गया |

The Committee was informed that one officer was given cash prize during the quarter for writing 10000 Hindi words in official work during the year 2019-20 under the incentive scheme introduced by the Government of India for noting and drafting.

II तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा / Review of the quarterly report :-

समिति को आयुक्तालय की हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता एवं तीनों क्षेत्रों में जाने वाले हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता सूचित की गई ।

वे इस प्रकार है:-

पिछली तिमाही (2020 जनवरी,फरवरी, मार्च)में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 42.7%

वर्तमान तिमाही(2020 अप्रैल,मई,जून)में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 43.5%

यथाक्रम दिनांक 31.03.2020,30.06.2020 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में क -52.7%-66.6%,ख-100% - शून्य पत्राचार, ग -54.01%-53.5% ।

The Committee was informed percentage of Hindi noting and percentage of Hindi correspondence to three regions:-It is as follows :-

Percentage of Hindi noting in previous quarter(January, February, March 2020) - 42.7%

Percentage of Hindi noting in current quarter(January, February, March 2020) - 43.5%

A-52.7%-66.6%,B-100%-nil correspondence, C-54.01%-53.5% for the quarters ending on 31.03.2020,30.06.2020 respectively.

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि ई ऑफिस में उपलब्ध हिंदी टिप्पणियों का उपयोग करें | अध्यक्ष महोदय ने निवारक, समीक्षा, विधिक एवं न्यायनिर्णयन अनुभागों में सामान्य टेम्पलेट्स(जैसे कि आदेश की संख्या, प्राप्ति की तिथि आदि सूचित करने के लिए) बनाने का निदेश भी दिया |

The Chairman directed to make use of the Hindi notes available in e-office. The Chairman directed to make common templates in Preventive, Review, Legal and Adjudication sections (for eg. showing the no., date of receipt of the order etc)

कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions

III विविध/Miscellaneous :-

अगली तिमाही के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम/ Proposed programme for the next Quarter:-

a. हिंदी दिवस /हिंदी पखवाड़ा समारोह /Hindi Day/Hindi Fortnight Celebrations

समिति को सूचित किया गया कि हिंदी दिवस सन्देश इस ऑनलाइन बैठक के माध्यम से सभी अधिकारियों को प्रधान आयुक्त महोदय द्वारा पढ़कर सुनाया है और वेबसाइट में उपलोड किया जाएगा | हिंदी पखवाड़ा दिनांक 14.09.2020 से 25.09.2020 तक संयुक्त हिंदी पखवाड़ा के रूप में लेखा परीक्षा आयुक्तालय के साथ इस आयुक्तालय में मनाया जयेगा | ऑनलाइन माध्यम से अधिकारियों को 7 प्रतियोगिताएं इस दौरान आयोजित की जायेंगी |

The Committee was informed that Hindi Day message was given to all officers by the Principal Commissioner through this online meeting. Hindi fortnight will be celebrated in this Commissionerate as Joint Hindi Fortnight celebrations along with Audit Commissionerate from 14.09.2020 to 25.09.2020. It is proposed to conduct 7 Online competitions for the officers during this period.

b. नए कर सहायकों / निरीक्षकों के लिए राजभाषा नीति पर प्रशिक्षण / Training on Official Language Policy to the newly recruited TAs/Inspectors

समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 16.09.2020 एवं 17.09.2020 को नए कर सहायकों / निरीक्षकों के लिए राजभाषा नीति पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा एवं वरिष्ट अनुब्वाद अधिकारी कक्षाएं चलाई जाएगी |

The Committee was informed that Training section will be conducting a training programme for the newly recruited TAs/Inspectors on 16.09.2020 and 17.09.2020 and Senior Translation Officer will be conducting classes.